

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीतरीय अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 1125
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 11.03.25
अप्रार्थीगण

1 कौशलाराम 2 सिद्धाराम
पिसरान हेमाराम जाति
जाट निवासी सुथारो का
तला, गरल तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 सोनाराम पुत्र घमाराम 2 वीरेश पत्नि सोनाराम 3 हिमथाराम 4
रणाराम पिसरान नवलाराम 5 पोकसराम पुत्र शेणूसराम जाति जाट
निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर राज, 6
नवलाराम पुत्र वीरमाराम 7 मूलाशाम 8 राजनाराम पिसरान
खरथाराम 9 राजनी पत्नि खरथाराम 10 लिखमाराम 11 जोगाराम
12 भोगाराम 13 मानाराम पिसरान भेराराम 14 किरतुशी पत्नि
भेराराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल, तहसील व
जिला बाड़मेर 15 भीखाराम 16 रूपाराम 17 करनाराम 18
तिलाराम पिसरान नन्दराम जाति गेघवाल निवासी जोगेसर कुआ,
गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-698/2024

दिनांक- 07/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारो का तला पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 587/335 रकबा 8.2718 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड-अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 1126 - 1129

दिनांक- 11.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कौशलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र घमाराम वगैरह जाति जाट निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।



उपखण्ड-अधिकारी,
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 1125
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 11.03.25
अप्रार्थीगण

1 कौशलाराम 2 सिद्धाराम
पिसरान हेमाराम जाति
जाट निवासी सुथारो का
तला, गरल तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 सोनाराम पुत्र घमाराम 2 वीरों पत्नि सोनाराम 3 हिमथाराम 4
राणाराम पिसरान नवलाराम 5 पोकरराम पुत्र शेम्भूराम जाति जाट
निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर राज, 6
नवलाराम पुत्र वीरमाराम 7 मूलाराम 8 साजनाराम पिसरान
खरथाराम 9 सजनी पत्नि खरथाराम 10 लिखमाराम 11 जोगाराम
12 भोमाराम 13 गानाराम पिसरान भेराराम 14 किस्तुरी पत्नि
भेराराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल, तहसील व
जिला बाड़मेर 15 भीखाराम 16 रूपाराम 17 करनाराम 18
तिलाराम पिसरान नन्दराम जाति मेघवाल निवासी जोगेसर कुआ,
गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-698/2024

दिनांक- 07/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारो का तला पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 587/335 रकबा 8.2718 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 1126 - 1129
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 11.03.25

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कौशलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र घमाराम वगैराह जाति जाट निवासी सुथारो का तला, गरल तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर